# भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
## प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस ग्रुप

दिशा-निर्देश टिप्पणी

सं.-726/16-पीपीजी/2016
दिनांक: 24.8.2016

सेवा में,

क्षेत्रीय कार्यालय के सभी विभागाध्यक्ष

विषय: लाभार्थी उन्मुख योजनाओं का कार्यान्वयन करने वाले एसपीवीज़ और न्यास/सोसाइटियों की अनुपालन लेखापरीक्षा

भारत सरकार ने परिकल्पित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के रूप में बहुत समय से कई लाभार्थी उन्मुख योजनाओं को शुरू किया है। इन योजनाओं को भारत सरकार द्वारा राज्यों में लागू किए जाने हेतु बनाया जाता है और अंततः इन्हें कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निष्पादित किया जाता है जो एसपीवीज़ और सोसाइटियों/न्यासों के रूप में स्थापित हैं। ये कार्यान्वयन एजेंसियाँ सरकार के पदानुक्रमिक संगठनों के साथ मिलकर नीति लागू करती हैं और लोक निधि से जुड़ी हैं और इस प्रकार समेकित रूप में हमारा लेखापरीक्षा क्षेत्र बनता है।

वर्तमान में, इनमें से अधिकांश एसपीवीज़ और न्यास/सोसाइटियां सामान्यतः केवल आवधिक आधार पर लेखापरीक्षा में शामिल की जाती हैं, जब निष्पादन लेखापरीक्षा किया जाता है। चूँकि महत्वपूर्ण लोक निधि का प्रवाह लाभार्थी उन्मुख योजना को लागू करने वाली इन एसपीवीज़ और न्यासों/सोसाइटियों के माध्यम से किया जाता है, उनकी लेखापरीक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने

की आवश्यकता है ताकि संघ और राज्यों के संचित निधि से आने वाले धन के अंतिम प्रयोग से संबंधित उनके अनुपालन का प्रभावी रूप से मूल्यांकन किया जा सके। इस दिशा-निर्देश टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य इन एसपीवीज़ और न्यासों/सोसाइटियों का नियमित आधार पर योजना तथा अनुपालन लेखापरीक्षा करना है।

**अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषतायें**

विभाग ने लेखापरीक्षण दिशा-निर्देशों को अपनाया है जिसमें अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए एक जोखिम दृष्टिकोण की परिकल्पना निहित है जिसके लिए इनके द्वारा वार्षिक अनुपालन लेखापरीक्षा की तैयारी की आवश्यकता है:

क) लेखापरीक्षायोग्य सर्वोच्च निकायों और लेखापरीक्षा इकाईयों को परिभाषित करना एवं कार्यान्वयन इकाईयों से उन्हें अलग करना; तथा

ख) अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु उनके जोखिम आधारित चयन के लिए जोखिम रूपरेखा।

**क) लेखापरीक्षायोग्य सर्वोच्च निकायों और लेखापरीक्षा इकाईयों तथा कार्यान्वयन इकाईयों को परिभाषित करना**

**अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा-निर्देश से उद्धरण**

राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार में सर्वोच्च स्तर के विभाग/क्षेत्र को लेखापरीक्षायोग्य सर्वोच्च निकाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है

(पैरा 3.4)

लेखापरीक्षा इकाई को एक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक या एक से अधिक निम्नलिखित विशेषता हो सकते हैं:

क) प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का औचित्यपूर्ण हस्तांतरण,
ख) प्रकार्यात्मक स्वायत्तता; और
ग) लेखापरीक्षायोग्य सर्वोच्च निकाय के उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित प्रचालन महत्व।

(पैरा 3.5)

लेखापरीक्षा इकाईयों से नीचे संगठनात्मक पदानुक्रम और कार्यान्वयन एजेंसियों को कार्यान्वयन

इकाईयों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(पैरा 3.6)

कार्यान्वयन इकाईयों में अंतिम लक्षित सेवा प्रदाता तथा सरकार के कार्यान्वयन सहयोगी शामिल हैं। **लाभार्थी उन्मुख योजनाओं का कार्यान्वयन करने वाले एसपीवीज़ और न्यास/सोसाइटियों का इस प्रकार जटिल रूप से कार्यान्वयन इकाईयों के रूप में माना जाएगा।**

लेखापरीक्षायोग्य सर्वोच्च निकायों, लेखापरीक्षा इकाईयों और कार्यान्वयन इकाईयों का संग्रहण करने वाले लेखापरीक्षा व्यापक डाटाबेस जैसा कि अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा-निर्देशों में परिकल्पना की गई है, को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नियमित रूप से तैयार, अनुरक्षित और अद्यतित किया जाए जिसमें एसपीवीज़ और लाभार्थी उन्मुख योजनाओं को लागू करने वाले एसपीवीज़ और न्यास/सोसाइटियों को शामिल किया जाना चाहिए। इस डाटाबेस में अनुपालन लेखापरीक्षा योजना का आधार बन सकेगा।

**ख) जोखिम रूपरेखा**

**अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा-निर्देशों का उद्धरण**

अनुपालन लेखापरीक्षा की योजना का जोखिम आधारित दृष्टिकोण अनुमानित उच्च जोखिम क्षेत्रों/गतिविधियों पर लेखापरीक्षा प्रयासों के बारे में केंद्रित करना है। लेखापरीक्षायोग्य सर्वोच्च निकायों और उनके लेखापरीक्षा इकाईयों का जोखिम रूपरेखा उनकी संरचनाओं, उनकी अपेक्षित भूमिका और अनुपालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

**(पैरा 3.9)**

निकायों के उच्च जोखिम क्षेत्रों/गतिविधियों के मूल्यांकन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय को व्यापक परिप्रेक्ष्य में लेखापरीक्षायोग्य सर्वोच्च निकायों के परिवेश को ध्यान में रखना चाहिए।

अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा-निर्देश उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के मूल्यांकन के लिए व्यापक आयामों के साथ-साथ विभिन्न दस्तावेज/साहित्य और पहलू प्रदान करते हैं जिसकी जोखिम निर्धारण में समीक्षा की जानी चाहिए। ऐसे जोखिम निर्धारण के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालयों को एक उपयुक्त कार्यान्वयन इकाई नमूने के साथ-साथ लेखापरीक्षायोग्य सर्वोच्च इकाईयों तथा

लेखापरीक्षा इकाईयों के चयन को शामिल करते हुए वार्षिक अनुपालन लेखापरीक्षा योजना तैयार करना पड़ता है। कार्यान्वयन इकाईयों के चयनित नमूने में उपयुक्त रूप से लाभार्थी उन्मुख योजना लागू करने वाली एसपीवीज़ और न्यासों/सोसाइटियों का चयन निहित होगा। कार्यान्वयन इकाईयों के चयनित नमूने की लेखापरीक्षा उनकी सापेक्षिक लेखापरीक्षा इकाईयों की लेखापरीक्षा के भाग के रूप में की जा सकती है।

संलग्नक: यथोपरि

(सुधा कृष्णन)
महानिदेशक (पीपीजी)

सं. 726/16-पीपीजी/2016 दिनांक: 24.8.2016

प्रतिलिपि:

(i) सभी अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक/उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
(ii) मुख्यालय कार्यालय के सभी महानिदेशक/प्रधान निदेशक